THE MADHYA PRADESH STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
"PANCHANAN" 3rd FLOOR, MALAVIYA NAGAR, BHOPAL
Phone (0755) - 2551652, 2551756, 2551807 Fax: 0755-2557305

816

दिनांक : 16.08.2024

मुख्या / विपणन / CATLE CATCHER / 2024–25 / 1812

प्रति,

M/S MP INFRAATRUCTURES,
GRAM ABDULLAPURA, (PACHAMA)
DISTRICT SEEGORE - 466001
MOB : 9826469388
E-MAIL : mpinfrastructures@gmail.com

विषय : हाईड्रोलिक कैटल कैचर लिफि्टंग ट्राली के उत्पादन व प्रदाय के संबंध में
संदर्भ: आपके द्वारा प्रेषित पत्र कं 30/BPL/2024-25 दिनांक 09.05.2024 निगम के साथ आपके द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध दिनांक 06.12.2022

आपके द्वारा चैनल पार्टनर के रूप में ''हाईड्रोलिक कैटल लिफि्टंग ट्राली'' विकसित की गई है जिससे पशुओं को गौशाला तथा अन्य स्थान तक पहुंचाने एवं बीमार तथा घायल पशुओं को अस्पताल तक या अन्यत्र तक पहुंचाने का कार्य सुगमता से लिफ्ट कर किया जा सकता है।

आपके द्वारा पत्र दिनांक 9.5.2024 से इस उत्पाद का Cost Analysis प्रस्तुत किया गया है। समिति की बैठक दिनांक के निणर्य के कम में इस उत्पाद की कय एवं विकय दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है–

<u>हाईड्रोलिक केटल लिफि्टंग ट्राली की दरें</u>

निगम की कय दर		
कं	विवरण	राशि (रु. में)
1	मशीन की बेसिक दर	506924
2	मशीन की बेसिक दर पर देय लाभांश 10%	50692
	योग –	**557616**
3	बेसिक दर पर GST @18%	100372
4	निगम की कय दर 18% GST सहित	**657988**

निगम की विकय दर		
कं	विवरण	राशि (रु. में)
01	मशीन की बेसिक दर	557616
02	निगम का लाभांश	30415
03	थर्डपार्टी Inspection Charges	5070
	निगम की कुल बेसिक विकय दर	593101
04	निगम की कुल बेसिक विकय दर पर GST 18%	106758
06	निगम की विकय दर निगम मार्जिन एवं 18% GST सहित	699859

''हाईड्रोलिक कैटल लिफि्टंग ट्राली'' के उत्पादन एवं प्रदाय से संबंधित शर्त निम्नानुसार रहेंगी –

1. हाईड्रोलिक कैटल लिफि्टंग ट्राली का उत्पादन कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त, ग्वालियर के पत्र कमाक 8776 / तकनीकी / टीसी / 2023 ग्वालियर दिनांक 07.08.2024 से अनुमोदित डिजाईन के अनुसार ही किया जाना आवश्यक है तथा उसकी शर्तो का पालन अनिवार्य होगा।

.....2

815

2. निगम द्वारा केताओं से मांग प्राप्त होने पर आपको विधिवत प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा। प्रदाय आदेश के अनुसार आपको उत्पादन करते हुये अधिकतम **30 दिवस** की समय सीमा में प्रदायगी पूर्ण की जाना होगी इस हेतु आवश्यक रॉ मटेरियल आदि की व्यवस्था आपको इस प्रकार से की जाना होगी जिससे प्रदायगी में अनावश्यक विलंब न हो।

3. हाईड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग ट्राली के प्रत्येक ट्राली पर तथा 7.5 HP के पेट्रोल इंजन पर आपके द्वारा चैसिस नम्बर व ट्राली सीरियल नंबर आवंटित किया जावेगा। जिसका उल्लेख निगम को जारी किये जाने वाले देयक पर किया जावेगा। इसका उल्लेख भी निर्माण माह एवं निर्माण वर्ष सहित ट्राली पर, धातु की पट्टिका में उल्लेख कर लगाया जावेगा।

4. प्रदाय की जाने वाली हाईड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग ट्राली में मैन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट पर प्रदाय दिनांक से 3 वर्ष की वारंटी अवधि तथा रिम, हब, टायर, बेरिंग पर एक वर्ष वारंटी अवधि मान्य की जावेगी। निर्माण से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटी/कमी के कारण ट्राली में ब्रेक डाउन होने की स्थिती में उसका निराकरण करने का उत्तरदायित्व चैनल पार्टनर का रहेगा।

5. प्रत्येक ट्राली पर **"एम.पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पोरेशन लि. (पार्टनर मेसर्स एम. पी. इन्फास्ट्रक्चर)"** ट्राली के दोनों साईड पैनल पर अंकित किया जाना आवश्यक है।

6. हाईड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग ट्राली के उत्पादन किये जाने के उपरांत उसके प्रदाय के संबंध में आपके द्वारा प्रदायगी से पूर्व निगम मुख्यालय को अवगत कराया जावेगा एवं निगम मुख्यालय द्वारा दिये गये श्ड्यूल अनुसार केताओं को प्रदायगी की जाना आवश्यक होगा।

7. निगम द्वारा जो दरें निर्धारित की गई है, में परिवहन व्यय सम्मलित है। परिवहन के दौरान सामग्री को आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूट–फूट आदि किसी भी प्रकार से हुए नुकसान की जवाबदारी चैनल पार्टनर की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई आपके द्वारा ही पूरी की जाना होगी एवं ऐसी स्थिति में प्रदाय के लिए निर्धारित समयावधि नहीं बढ़ाई जावेगी। आपके द्वारा परिवहन के लिए मशीन का ट्रांजिट इन्श्योरेंस करवाया जावेगा, इसके लिये पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

8. हाईड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग ट्राली केता के यहां डिलेवरी के पूर्व निगम के संबंधित जिले के जिला प्रबंधक को सूचित किया जावेगा व ट्राली प्रदाय स्थल पर प्राप्त होने के उपरांत जिला प्रबंधक आपके प्रतिनिधि की उपस्थिती में केता के साथ प्री–डिलेवरी इंस्पेक्शन (PDI) कर केता विभाग को ट्राली सौंपेंगें एवं ट्राली का जियोटैगिंग युक्त फोटोग्राफ व केता विभाग से पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें।

9. ट्राली के रख–रखाव पर परिचालन के संबंध में आपके तकनीकी कर्मचारी द्वारा संबंधित केता / या उनके नामांकित कर्मचारियों को विधिवत ट्रेनिंग प्रदान की जाना आवश्यक होगा।

10. प्रदाय के उपरांत केता को हाईड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग ट्राली के परिचालन में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु मशीन की ऑफ्टर सेल सर्विस हेतु 24 X 7 टोल फी नम्बर उपलब्ध कराया जाना होगा।

11. प्रदाय की जाने वाली हाईड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग ट्राली में मैन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट पर प्रदाय दिनांक से 3 वर्ष की वारंटी अवधि तथा रिम, हब, टायर, बेरिंग पर एक वर्ष वारंटी अवधि मान्य की जावेगी। निर्माण से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटी/कमी के कारण ट्राली में ब्रेक डाउन होने की स्थिती में उसका निराकरण करने का उत्तरदायित्व चैनल पार्टनर का रहेगा।

12. हाईड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग ट्राली में सुचारू ढंग से संचालन / रखरखाव केता द्वारा किया जाना है। यदि वारंटी अवधि में केता द्वारा मशीन के परिचालन में कठिनाई या ब्रेक डाउन की शिकायत की जाती है तो शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के दौरान आपको अपनी तकनीकी टीम को स्थल पर भेज कर प्राप्त शिकायत का परीक्षण कर उसका समुचित निराकरण किया जाना आवश्यक है।

814

13. थर्ड पार्टी निरीक्षण : सामग्री की तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्पादन स्थल/ प्रदाय स्थल पर ट्राली का गुणवत्ता निरीक्षण निगम द्वारा सक्षम थर्डपार्टी से कराया जावेगा।

14. निगम द्वारा आपके देयक प्राप्त होने पर संबंधित केता से भुगतान प्राप्त होने पर आपको भुगतान किया जावेगा।

15. निगम द्वारा प्रदाय आदेश दिये जाने के उपरांत निर्धारित समय सीमा में प्रदायगी की जाना आवश्यक है। यदि निर्धारित समय सीमा में प्रदायगी नहीं की जाती है तो निगम के प्रबंध संचालक शस्ती अधिरोपित करने के अधिकारी रहेगें / प्रदायगी नहीं किये जाने / समय से नहीं किये जाने के कारण यदि निगम को किसी प्रकार की व्यवसायिक/ वित्तीय हानि होती है तो इसका निर्धारण एवं वसूली आपसे किये जाने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास रहेगा।

16. उभयपक्ष के मध्य निष्पादित अनुबंध तथा जारी EOI के प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

<u>प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित</u>

नितिन मोहगावकर
प्रबंधक (विपणन)
16-08-2024

1813
16-8-24

प्रतिलिपि–

1. क्षेत्रीय प्रबंधक, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला प्रबंधक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (समस्त)

प्रबंधक (विपणन)
16.08.2024

आनुमति

813

नय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक .... सी / 2023 ग्वालियर, दिनांक 7/8/24

प्रति

क्षेत्रीय / अति.क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी,
(समस्त) मध्यप्रदेश

विषयः– "हाईड्रोलिक केटल लिफ्टिंग ट्रॉली" को मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– M/s M. P. Infrastructures, का पत्र क्रमांक 33 / BPL / 2024–25 दिनांक 20.06.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। आवेदन के साथ संलग्न **"हाईड्रोलिक केटल लिफ्टिंग ट्रॉली(दो पहिया ट्रॉली)"** की तकनीकी डिजायन की विशिष्टियां जिनका डिजायन अनुमोदन **"University Institute of Technology, Barkatulla University, Bhopal"(शासकीय)** से कराकर आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत उक्त **"हाईड्रोलिक केटल लिफ्टिंग ट्रॉली(दो पहिया ट्रॉली)"** के **"University Institute of Technology, Barkatulla University, Bhopal"(शासकीय)** द्वारा अनुमोदित डिजाईन के अनुसार निम्न शर्तों के अध्यधीन, **"हाईड्रोलिक केटल लिफ्टिंग ट्रॉली(दो पहिया ट्रॉली)"** को मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन की अनुमति प्रदान की जाती है:–

(i) **"दो पहिया ट्रॉली"** में मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत कंपनियों के रेट्रो रिफ्लैक्टर टेप केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 104 के प्रावधानुसार ट्रॉली पर लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) नम्बर प्लेट के ऊपर एक लाल लाईट व पीछे दो लाल लाईट लगाई जायेंगी, जो वाहन के गतिशील न रहने की स्थिति में प्रकाशित होने योग्य होंगी।

(iii) **"दो पहिया ट्रॉली"** की कीमत में बढोत्तरी / परिवर्तन किया जाता है, तो आवेदक को परिवहन आयुक्त कार्यालय को सूचित करना आवश्यक होगा।

(iv) **"दो पहिया ट्रॉली"** के मापदण्ड / तकनीकी विवरण **"University Institute of Technology, Barkatulla University, Bhopal"(शासकीय)** द्वारा जारी किये गये अभिप्रमाणित नक्शे के अनुसार होंगे, जिसकी प्रति संलग्न है।

(v) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के अंतर्गत **"दो पहिया ट्रॉली"** का मोटरयान कर पृथक से देय होने के उद्देश्य से, **"दो पहिया ट्रॉली"** को पृथक से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

3. अतः संलग्न डिजाईन अनुमोदन के आधार पर आपके समक्ष प्रस्तुत **"दो पहिया ट्रॉली"** का भौतिक सत्यापन "अनुमोदित डिजाईन के आधार पर करने के पश्चात् पंजीयन किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः– **उपरोक्तानुसार**

अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 3716 / तकनीकी / टीसी / 2023 ग्वालियर, दिनांक 7/8/24

प्रतिलिपिः–

1. **M/s M. P. Infrastructures**, की ओर सूचनार्थ।
2. NIC शाखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)
मध्यप्रदेश

(180)

University Institute of Technology

(A Self Financing Institute Approved by AICTE. Established in 1997)

Barkatulla University, Bhopal-462026. (INDIA)

812

UIT, BU, BHOPAL

Ref. - 217|UIT,BU

Date: 20|06|2024

To,

M/s M.P.INFRASTRUCTURES
Gram Abdullapura (Pachama)
Seehore (M.P.)

Subject: Checking and approval Design, of Hydraulic Cattle Lifting Trolley.

Ref.: Your letter No. 33/BPL/2024-25 dated 29/05/2024.

Dear Sir,

With reference to your letter No. 33/BPL/2024-25 dated 29/05/2024, mentioned the design of Hydraulic Cattle Lifting Trolley given by you is checked and approved by the HOD and Faculty of Deptt. Of Mechanical Engg. UIT, BU, Bhopal.

The design is stands valid for M/s M.P.INFRASTRUCTURES, Gram Abdullapura (Pachama), Seehore (M.P.) for their commercial purpose.

Note:It is to be noted that the report is not subjected to court proceedings.

19/06/2024
Shri Ashutosh**Raghubansi**
Faculty,
Deptt. Of Mechanical Engg.
UIT, BU, Bhopal

19/06/2024
Dr. Prabhash Jain
Head, Head
Deptt. Of Mechanical Engg.
UIT, BU, Bhopal

19/06/24
Prof.Neeraj Gaur
Director,
UIT, BU, Bhopal

Drawing of Cattle Catcher & Rescue Trolley with hydraulic platform

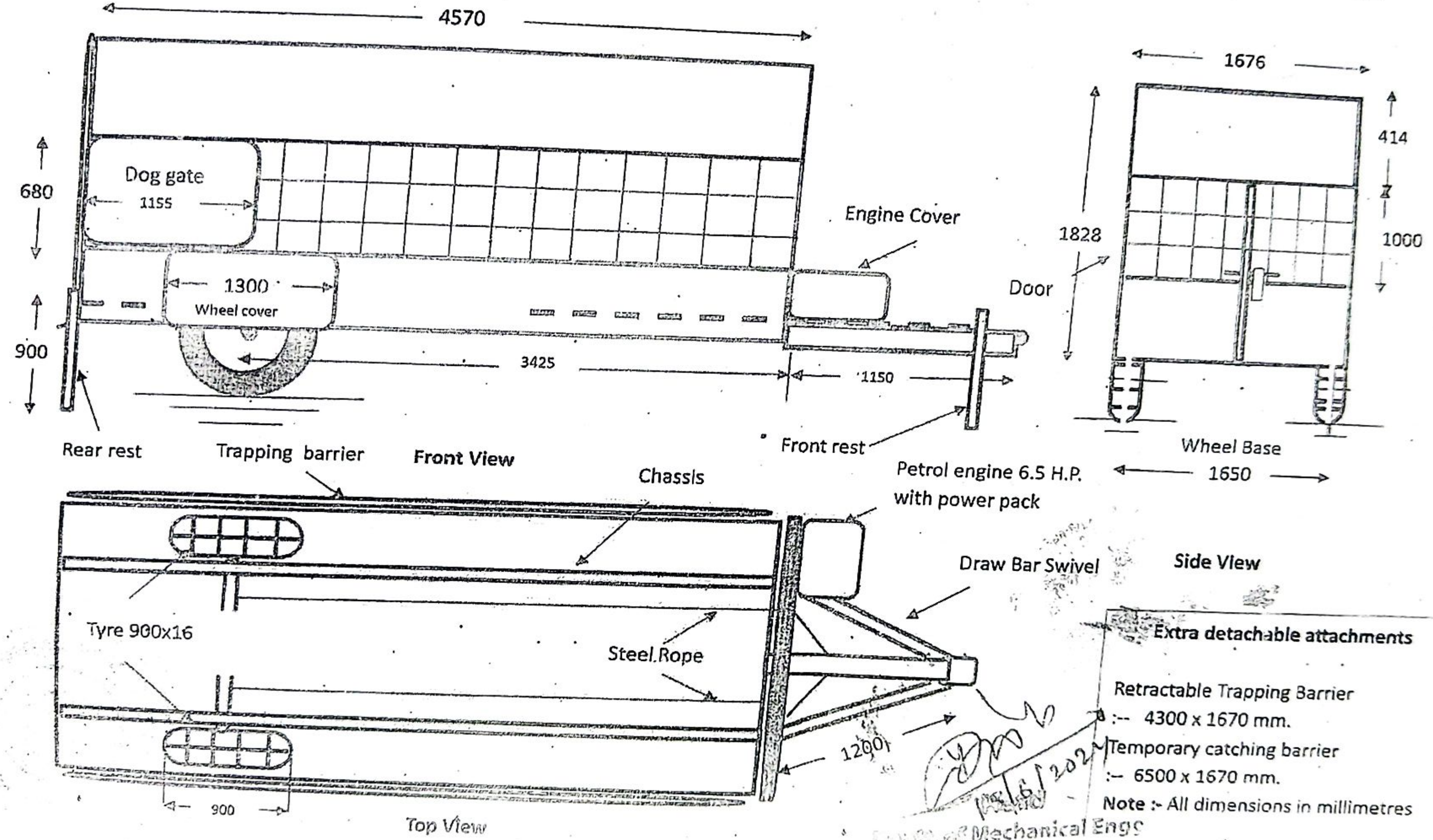

Extra detachable attachments

Retractable Trapping Barrier
:- 4300 x 1670 mm.
Temporary catching barrier
:- 6500 x 1670 mm.
Note :- All dimensions in millimetres

018

of Mechanical Engg
SUIT, Bhopal

Specifications of Cattle Catcher & Rescue Trolley with hydraulic platform

1 Resting arrangement in the front side of the trolley shall be made of 50x 50 ISA

2. Draw bar shall be made of ISMC 100 x 50 mm.

3. shall be made of ISMC 125 x 25 mm. with Two longitudinal member and 3 Cross barrier with 100 x 50 ISMC through the floor.

4. Tyre assembly : 900 x 16 tyre , tube, flap, 12mm. thick hub with 8 hole & double plated rim assembly

5. mudguard and tyre protector shall be made of 1` mm. thick M.S. sheet.

6 . Resting arrangement in the rear side of the trolley shall be made of 50 x 50 ISA.

7. Front rope Driver shall be made of minimum 50 mm. round bar on which rope is wound.

8. 10 mm. steel rope is used to transmit torque from front rope driver.

9. Rear axle shall be made of minimum, 50 mm. bar (Solid/hollow), which wound rope and allow platform up & down.

10. 2 no. hydraulic cylinder shall be fitted on rear portion of chassis allow to whole axle assembly up & down.

11. High pressure hydraulic pipe line is provided to transfer power from power pack to hydraulic cylinder .

12. Power pack with petrol engine shall be provided on the front side to operate hydraulic platform through hydraulic cylinder & rope mechanism.

13. Dog Captur gate

14. Temporary barrier for trapping stray cattle shale be made of steel frame & fabric.

15. Sliding crane with chain hoist shall be provided to rescue the cattle and shall be made of steel section having steel channel.

16. Steel hitch shall be made of steel plates and provided to attach trolley with the tractor or jeep or any other prime mover.

17. Front rotational frame shall made of hollow tube & provided for tightening the rope for vertical action of platform.

18. Front frame of the trolley shall be made od steel as well as tubular section.

19 Roof Structure shall be made of steel section as well as tubular section.

20 Upper portion of the rear door, fully closed.

18/6/2024
Head
Deptt. of Mechanical Engg
BUIT, Bhopal

809

Schematic Drawing of Cattle Catcher & Rescue Trolley with hydraulic platform

1. Front Rest Arm, 2. Draw bar, 3. Chassis, 4.Tyre, hub, rim Assembly, 5. Wheel Guard, 6. Back Rest

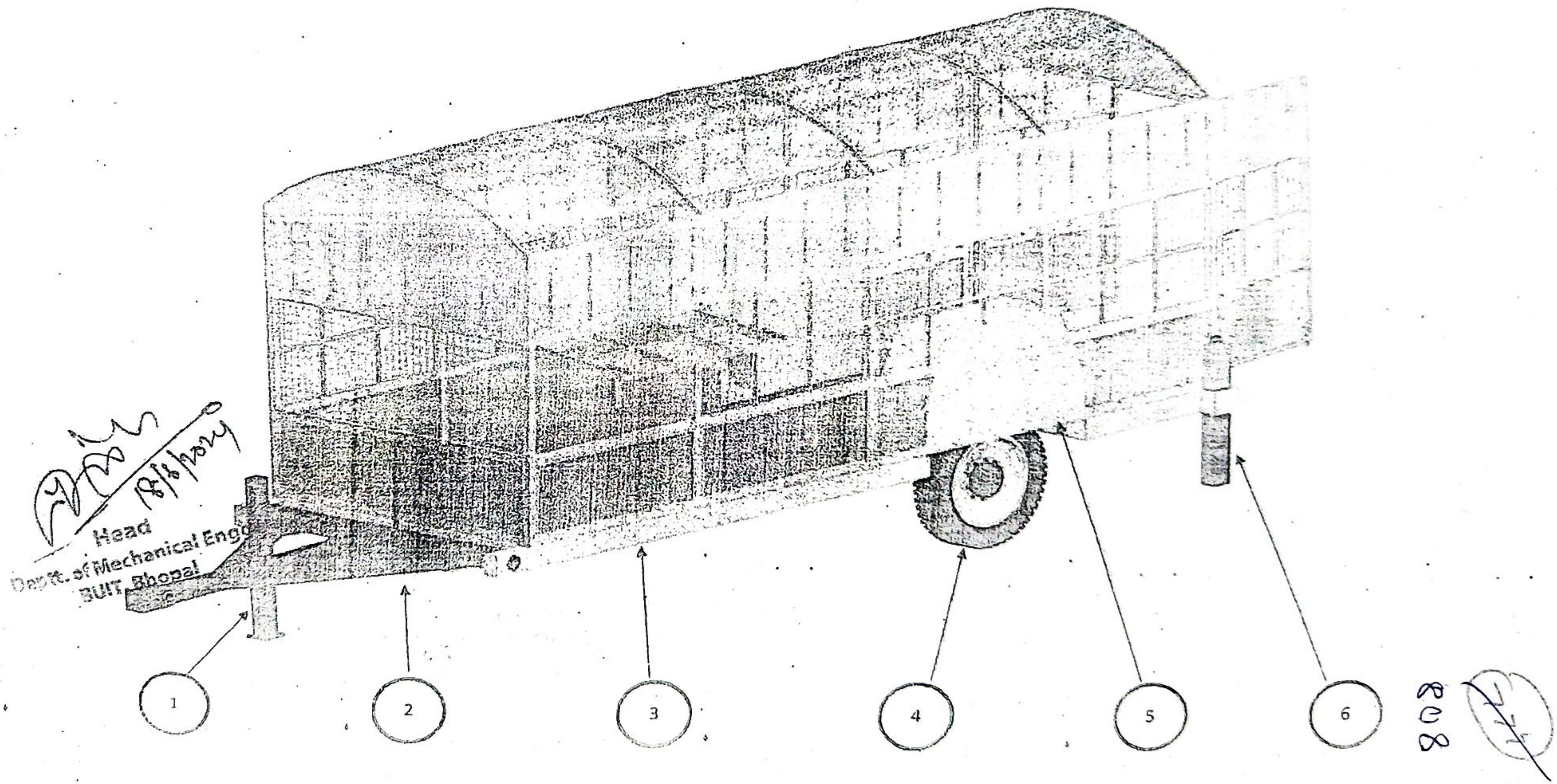

Bottom Schematic View

7. Front Rope Driver , 8. Steel Rope, 9. Rear Axle, 10. Hydraulic Cylinder, 11. Hydraulic Pipe line

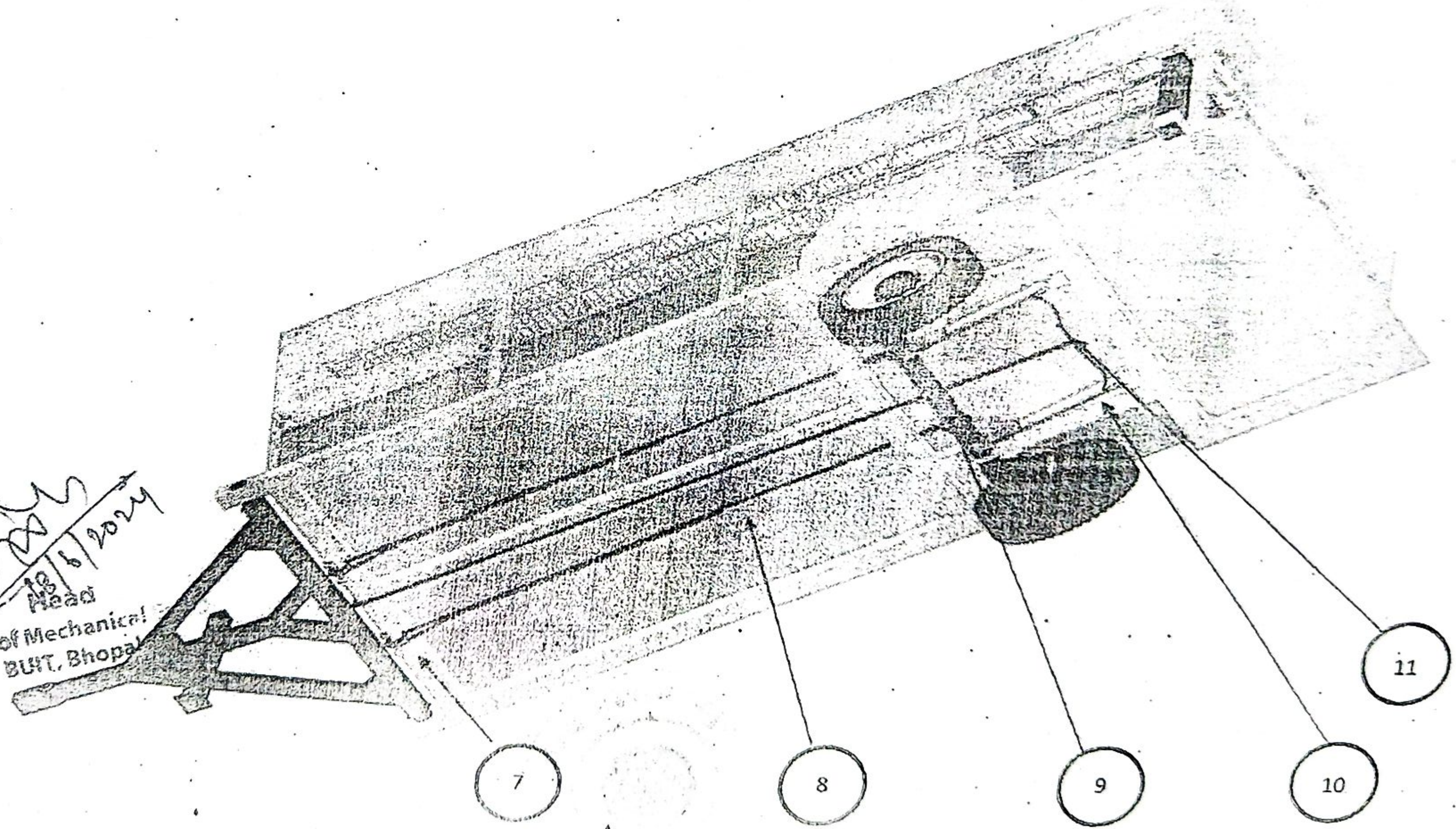

Head
Deptt. of Mechanical
BUIT, Bhopal

807

Front Schematic View

12. Power Pack with Petrol Engine , 13. Dog Door, 14. Sliding crane & Chain hoist, 15. Temporary Barrier

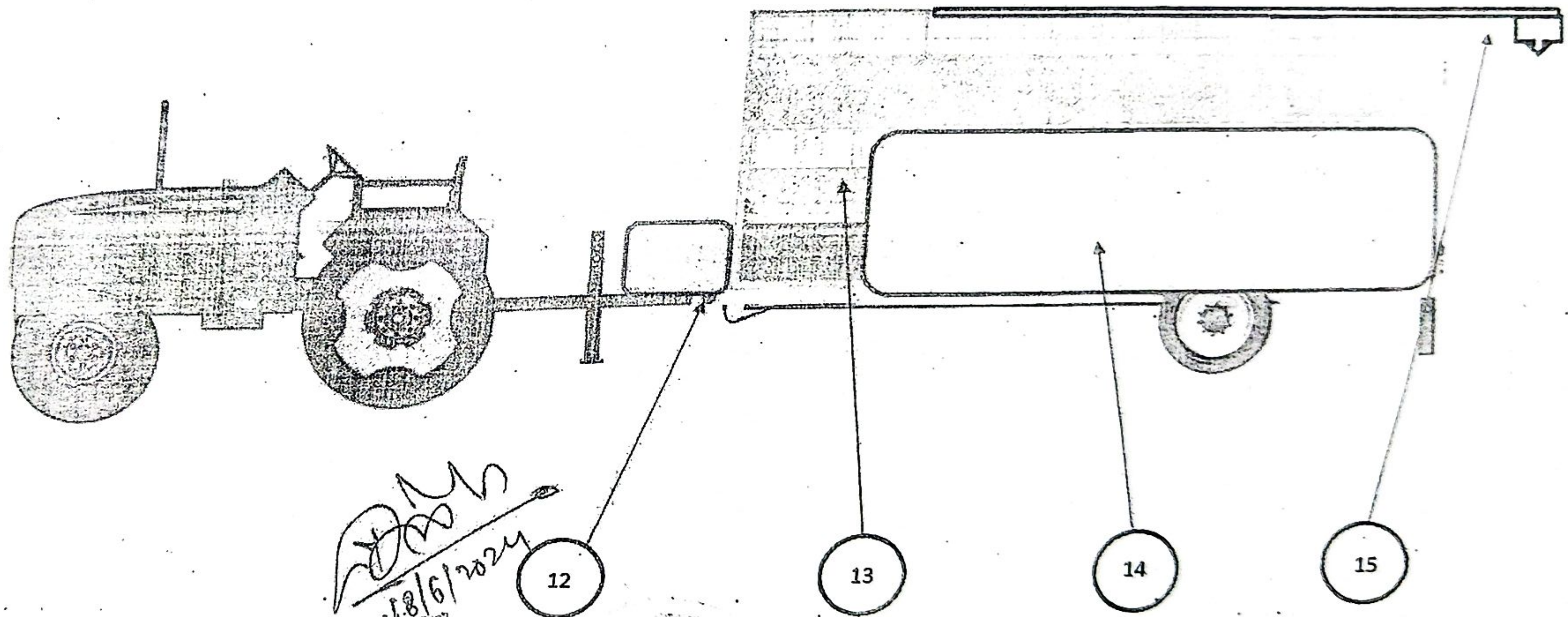

18/6/2024
Head
Deptt. of Mechanical En
BUIT, Bhopal

806

Side Schematic View

16. Hitch , 17. Front rotational Axle , 18. Front structure, 19. Roof structure

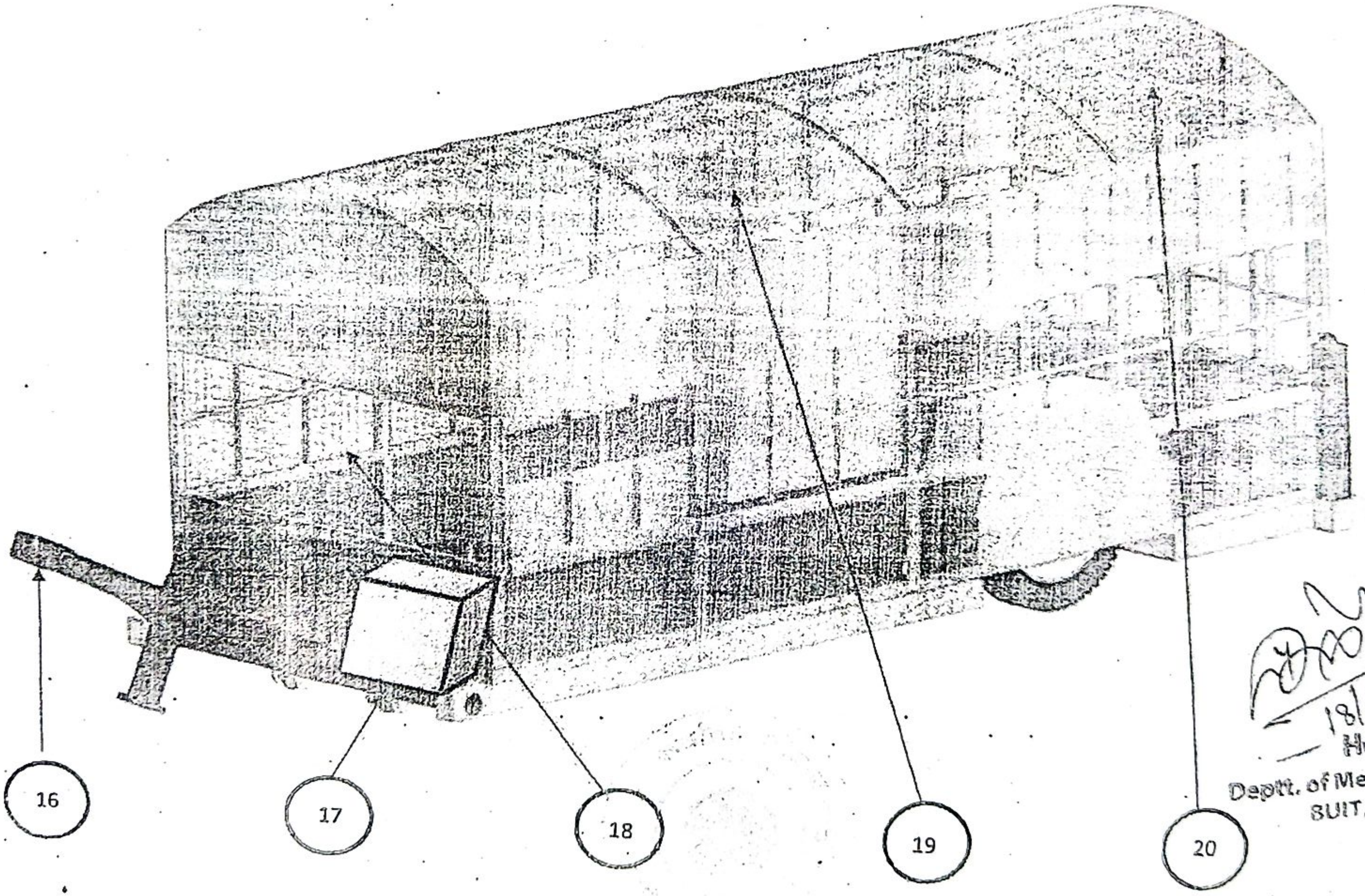

18/6/2024
Head
Deptt. of Mechanical
BUIT, Bhopal

805